

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

निग - 640 - PBE-6  
21-05-15

बी. वि. नं. 133/2015  
पुनरीक्षण  
दिनांक 16.2.16  
स.स. 11-421  
R  
R

1. शब्बीर हुसैन पिता अब्बास अली  
उम्र :- वयस्क, धंधा :- व्यापार  
निवासी 64 प्लाउडन रोड महु, जिला इंदौर
2. शाकीर हुसैन पिता अब्बास अली  
उम्र :- वयस्क, धंधा :- व्यापार  
निवासी सदर
3. शमीनाबी मति शहजाद हुसैन  
उम्र :- वयस्क, धंधा :- गृहकार्य  
निवासी सदर

याचिकाकर्तागण/अपीलार्थीगण

वि रु द्ध

शरद पिता राणेश गुलवलकर  
उम्र :- वयस्क, धंधा :- ज्ञात नहीं  
निवासी 1 विक्रम नगर ग्राम किशनगंज  
तहसील महु जिला इंदौर

अनावेदक/प्रत्यर्थी

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50  
मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्तागण की ओर से निवेदन है कि :-

याचिकाकर्तागण द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय महु जिला इंदौर के के राजस्व प्रकरण क्रमांक 13-अ-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-01-2016 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर याचिकाकर्तागण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते हैं :-


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि प्रत्यर्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 115-116 सहपठित धारा 32 म.प्र. मू. राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रतिप्रार्थीगणों के विरुद्ध इन आदेशों की प्रस्तुति की कि उनके स्वामित्व एवं अधिनस्थ की इन

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक निगरानी 640-पीबीआर/2016 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री विनोद सुगंधी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री अरुण मानकर अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> अध्यक्ष</p>	